

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर
// संशोधन आदेश //


क्रमांक ¹⁰⁹⁹ /एफ 2017-04-03755/स्था./चार :: नया रायपुर, दिनांक 3/10/2017
विभागीय आदेश क्रमांक 887/एफ 2017-04-03862/स्था./चार, दिनांक 14.08.2017 के द्वारा श्री राजेश कुमार तिवारी, उपकोषालय अधिकारी, छुईखदान, राजनांदगांव को कनिष्ठ लेखा अधिकारी, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव में किए गए स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा संशोधित करते हुए श्री तिवारी की नवीन पदस्थापना सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, दुर्ग में अस्थायी रूप से पदस्थ करता है।

2. विभागीय आदेश क्रमांक 887/एफ 2017-04-03862/स्था./चार, दिनांक 14.08.2017 के द्वारा श्री बृजेन्द्र तिवारी, सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय रायपुर को सहायक कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, महासमुंद में किए गए स्थानांतरण को राज्य शासन एतद्वारा संशोधित करते हुए श्री तिवारी की नवीन पदस्थापना सहायक लेखाधिकारी (लेखाधिकारी पद के विरुद्ध), छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेंटर सोसायटी, रायपुर में अस्थायी रूप से पदस्थ करता है।

3. शेष आदेश यथावत रहेंगे।

4. उपरोक्त दोनों संशोधन आदेश के लिए समन्वय में माननीय मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


(सतीश पाण्डेय) 31/10/17
अपर सचिव

पृष्ठा.क्र. 1100 /एफ 2017-04-03755/स्था./चार, नया रायपुर, दिनांक 3/10/2017
प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
02. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य मंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
04. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
05. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेंटर सोसायटी, रायपुर
06. महालेखाकार, रायपुर
07. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
08. संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, नया रायपुर
09. कलेक्टर, दुर्ग/राजनांदगांव/महासमुंद
10. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, दुर्ग/रायपुर
11. उपसंचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, राजनांदगांव
12. वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, दुर्ग/राजनांदगांव/महासमुंद
13. संबंधित अधिकारी.....
14. आदेश फोल्डर

----- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित


(अतुल कुलश्रेष्ठ)
शोध अधिकारी